Most Important Terms and Conditions (MITC)
अत्यंत महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (MITC)

(Housing Loans & Home Equity Loans/Loan Against Property)
(आवास ऋण एवं गृह इक्विटी ऋण/संपत्ति के विरुद्ध ऋण)

Application No: **Product Type:** **: Date:**
आवेदन संख्या: उत्पाद का प्रकार: : दिनांक:

Applicants & Co-applicants:
आवेदक एवं सह-आवेदक:

-
- Others, _____

अन्य,

- Other major terms and conditions of the housing loan (other than KFS) with reference to the sanction letter and related loan documents agreed between aforementioned applicants, Co-Applicants and Sitaara Housing Finance Limited (SITAARA) (Formerly known as Sewa Grih Rin Limited) (hereinafter referred to as "**SITAARA**", "**Company**", or "**Lender**") are as under:

उपर्युक्त आवेदकों, सह-आवेदकों एवं सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (SITAARA) (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (जिसे आगे "SITAARA", "कंपनी" अथवा "ऋणदाता" कहा जाएगा) के मध्य सहमत स्वीकृति पत्र एवं संबंधित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में गृह ऋण की अन्य प्रमुख नियम एवं शर्तें (KFS के अतिरिक्त) निम्नानुसार हैं।:

1. **Details of the Loan**
ऋण का विवरण

Sanctioned Loan Amount स्वीकृत ऋण राशि	Rupees **INR** _____**(INR** **only)** रुपये INR _____ (केवल INR में)
Purpose of Loan / Desired use of loan amount ऋण का उद्देश्य / ऋण राशि का इच्छित उपयोग	

Sitaara

Rate of interest ब्याज दर	Applicable ROI_____% Benchmark (PLR) _____% Spread_____% लागू ब्याज दर (ROI) % मानक दर (PLR) % स्प्रेड %
Types of Rate of Interest ब्याज दर का प्रकार	Fixed/Floating/Tiered स्थिर/परिवर्ती/स्तरीय
Tenure of Loan ऋण की अवधि	_____Months माह

Note:
1. Tenure is subject to change with a change in SITAARA prime lending rate in case of Floating rate/Tiered rate loans.
2. Loan tenure mentioned above is exclusive of Pre-EMI tenure.

नोट:
1. परिवर्ती दर/स्तरीय दर ऋणों के मामले में SITAARA की प्राइम लेंडिंग रेट में परिवर्तन होने पर ऋण अवधि में परिवर्तन हो सकता है।
2. उपर्युक्त उल्लिखित ऋण अवधि प्री-ईएमआई अवधि को छोड़कर है।

Equated Monthly Installment (EMI): समान मासिक किस्त (EMI):	INR _____(INR only INR _____ (केवल INR में)
Due Date of EMI ईएमआई की देय तिथि	3rd of every month प्रत्येक माह की 3 तारीख
Date of reset of interest ब्याज दर के पुनर्निर्धारण की तिथि	Reset frequency to be decided by SITAARA from time to time based on customer and product type, prevailing market conditions and guidelines issued by any statutory authority or as per change in internal policy of SITAARA. Any change in the interest rate shall be notified by SITAARA through its website or via medium of SMS/Email etc. in vernacular language. पुनर्निर्धारण की आवृत्ति SITAARA द्वारा समय-समय पर ग्राहक एवं उत्पाद के प्रकार, प्रचलित बाजार परिस्थितियों तथा किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों अथवा SITAARA की आंतरिक नीति में परिवर्तन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ब्याज दर में किसी भी परिवर्तन की सूचना SITAARA द्वारा अपनी वेबसाइट अथवा एसएमएस/ईमेल आदि माध्यमों के द्वारा स्थानीय भाषा में दी जाएगी।

Any Moratorium or Subsidy Applicable to this Loan इस ऋण पर लागू कोई अधिस्थगन (Moratorium) अथवा सब्सिडी	YES/NO हाँ/नहीं

Sitaara

2. Fees and Other Charges:

शुल्क एवं अन्य प्रभार:

(a) The cost of stamp papers and notarization required for loan processing, execution of the loan agreement, or disbursal of the loan shall be borne by the applicants/co-applicants.

ऋण प्रसंस्करण, ऋण अनुबंध के निष्पादन अथवा ऋण वितरण हेतु आवश्यक स्टाम्प पेपर एवं नोटरीकरण का व्यय आवेदकों/सह-आवेदकों द्वारा वहन किया जाएगा।

(b) Additional charges such as technical fees, legal fees, documentation charges, and Post Disbursement Document (PDD) charges shall be levied over and above the applicable administrative fee.

तकनीकी शुल्क, विधिक शुल्क, दस्तावेजीकरण शुल्क एवं वितरणोपरांत दस्तावेज (PDD) शुल्क जैसे अतिरिक्त प्रभार लागू प्रशासनिक शुल्क के अतिरिक्त लगाए जाएंगे।

(c) In case of loan default, the borrower/co-borrower must reimburse SITAARA for all related costs, including but not limited to legal, court, travel, and administrative expenses. These will be added to the loan balance. Applicants are advised to collect official receipts for all payments made to SITAARA**.**

ऋण चूक की स्थिति में, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को विधिक, न्यायालयीन, यात्रा एवं प्रशासनिक व्ययों सहित, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं, सभी संबंधित खर्चों की प्रतिपूर्ति SITAARA को करनी होगी। ये सभी व्यय ऋण बकाया राशि में जोड़ दिए जाएंगे। आवेदकों को SITAARA को किए गए सभी भुगतानों की आधिकारिक रसीद प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

(d) For any updates to the terms and conditions, please refer to our official website.

नियम एवं शर्तों में किसी भी अद्यतन हेतु कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट देखें।

You may also contact the Customer Account Officer at your nearest SITAARA branch office for assistance.

शुल्क एवं प्रभार (GST को छोड़कर)

FEES & CHARGES (exclusive of GST)
The fees and charges listed herein are subject to change at the sole discretion of Sitaara Housing Finance Limited (Formerly known as Sewa Grih Rin Limited) (SHFL). Any revision in these charges will be communicated to the applicants/co-applicants through updates made on SHFL's official website. All the mentioned charges (except for bouncing charges) are exclusive of GST, which shall be levied additionally as applicable. For the purpose of this Schedule of Charges, applicants and co-applicants are invariably referred to as "borrowers" and "co-borrowers."

यहाँ उल्लिखित शुल्क एवं प्रभार सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (SITAARA) के एकमात्र विवेकाधिकार पर परिवर्तन के अधीन हैं। इन प्रभारों में किसी भी संशोधन की सूचना आवेदकों/सह-आवेदकों को SITAARA की आधिकारिक वेबसाइट पर किए गए अद्यतनों के माध्यम से दी जाएगी।

Sitaara

उल्लिखित सभी प्रभार (बाउंसिंग शुल्क को छोड़कर) GST से पृथक हैं, जो लागू होने पर अतिरिक्त रूप से लगाया जाएगा।
इस शुल्क अनुसूची के उद्देश्य से, आवेदकों एवं सह-आवेदकों को क्रमशः "उधारकर्ता" एवं "सह-उधारकर्ता" कहा गया है।
आप सहायता हेतु अपने निकटतम SITAARA शाखा कार्यालय में ग्राहक खाता अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

S.no क्रम संख्या	**Particulars/Head** विवरण/शीर्षक	**Fees & Charges** शुल्क एवं प्रभार	**Frequency** आवृत्ति	**When Payable** कब देय	**Description** विवरण
1	Login Fee लॉगिन शुल्क	Home Loans: Upto Rs. 2000 Non Home Loans : Upto Rs. 3000 गृह ऋण: अधिकतम रु. 2000 तक गैर-गृह ऋण : अधिकतम रु. 3000 तक	Once एक बार	At application आवेदन के समय	Login fee is payable at the time of Application. These charges are Non-Refundable. लॉगिन शुल्क आवेदन के समय देय होगा। ये प्रभार अप्रतिदेय (Non-Refundable) हैं।
2	Administrative Fee (AF) प्रशासनिक शुल्क (AF)	Charged upto 4% of sanction amount स्वीकृत राशि का अधिकतम 4% तक प्रभारित	Once एक बार	At Application आवेदन के समय	AF is payable at the time of Sanction towards administrative charges, CERSAI charges (as applicable) & other incidental charges AF प्रशासनिक प्रभारों, CERSAI प्रभारों (जैसा लागू हो) एवं अन्य आकस्मिक प्रभारों के लिए स्वीकृति के समय देय होगा।
3	Bouncing charges per transaction on Cheque / ECS / ACH / DDM चेक / ECS / ACH / DDM पर प्रति लेनदेन बाउंसिंग शुल्क	Charged upto Rs. 500/- (Rupees Five Hundred Only) per instrument, per bounce may be levied, subject to a maximum of one such charge per instrument in a calendar month प्रति बाउंस प्रति लिखत अधिकतम रु. 500/- (केवल रुपये पाँच सौ) तक का प्रभार लगाया जा सकता है, जो एक कैलेंडर माह में प्रति लिखत अधिकतम एक ऐसे प्रभार तक सीमित होगा।	Restricted to one instance per calendar month प्रति कैलेंडर माह एक बार तक सीमित	On Cheque / NACH / SI bounce चेक / NACH / SI बाउंस होने पर	Dishonour charges shall apply on the return/bounce of any cheque, ECS/NACH/ACH mandate, DDM, or other banking instrument issued by the borrower and/or co-borrower(s), limited to one charge per loan account per calendar month उधारकर्ता एवं/अथवा सह-उधारकर्ता(ओं) द्वारा जारी किसी भी चेक, ECS/NACH/ACH अधिदेश, DDM अथवा अन्य बैंकिंग लिखत के वापसी/बाउंस होने पर, प्रति ऋण खाते पर प्रति कैलेंडर माह अधिकतम एक प्रभार तक सीमित, अनादरण प्रभार लागू होगा।
4	Technical fee तकनीकी शुल्क	Charged upto 3000/- (Rupees Three Thousand only) for	On incurring expenses व्यय होने पर	On every occurrence प्रत्येक घटना पर	Technical Fee as mentioned shall be charged in addition to the Administrative Fee.

		HL Charged upto 3500/- (Rupees Three Thousand Five Hundred only) for Non HL HL हेतु अधिकतम 3000/- (केवल रुपये तीन हजार) तक प्रभारित गैर-HL हेतु अधिकतम 3500/- (केवल रुपये तीन हजार पाँच सौ) तक प्रभारित			These charges are Non-Refundable. उल्लिखित तकनीकी शुल्क प्रशासनिक शुल्क के अतिरिक्त प्रभारित किया जाएगा। ये प्रभार अप्रतिदेय (Non-Refundable) हैं।
5	Technical Fee for each Tranche disbursement प्रत्येक किश्त वितरण हेतु तकनीकी शुल्क	Charged upto 700/- (Rupees Seven Hundred Only) अधिकतम 700/- (केवल रुपये सात सौ) तक प्रभारित	On incurring expenses व्यय होने पर	On every occurrence प्रत्येक घटना पर	This amount as mentioned shall be charged for each and every tranche disbursal. उल्लिखित यह राशि प्रत्येक एवं हर किश्त वितरण हेतु प्रभारित की जाएगी।
6	Legal fee विधिक शुल्क	Charged upto 3000/- (Rupees Three Thousand only) for HL Charged upto 3500/- (Rupees ThreeThousand Five Hundred only) for Non HL HL हेतु अधिकतम 3000/- (केवल रुपये तीन हजार) तक प्रभारित गैर-HL हेतु अधिकतम 3500/- (केवल रुपये तीन हजार पाँच सौ) तक प्रभारित	On incurring expenses व्यय होने पर	On every occurrence प्रत्येक घटना पर	Legal Fee as mentioned shall be charged in addition to the Administrative Fee. These charges are Non-Refundable. उल्लिखित विधिक शुल्क प्रशासनिक शुल्क के अतिरिक्त प्रभारित किया जाएगा। ये प्रभार अप्रतिदेय (Non-Refundable) हैं।
7	Statement of Account खाते का विवरण	NIL	Issued at least once per calendar quarter; also available to customers upon request through the Company's designated channels प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में कम से कम एक बार जारी किया जाएगा; साथ ही कंपनी के निर्दिष्ट माध्यमों के द्वारा	Not Applicable लागू नहीं	Statements of Account to all customers on a quarterly basis without any charge. Customers may also access and download their loan account statements at any time, free of cost, through the Sitaara Service App available on the Google Play Store via the following link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sgrlimit

			ग्राहकों के अनुरोध पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।		ed.sitara_consumer_app कंपनी सभी ग्राहकों को त्रैमासिक आधार पर बिना किसी शुल्क के खाते का विवरण उपलब्ध कराती है। ग्राहक Google Play Store पर उपलब्ध Sitaara Service App के माध्यम से किसी भी समय, निःशुल्क अपने ऋण खाते का विवरण देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं, निम्नलिखित लिंक द्वारा: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sgrlimited.sitara_consumer_app
8	Penal Charges for delayed payment, after Due Date/Late payment charges (EMI) नियत तिथि के बाद विलंबित भुगतान हेतु दंडात्मक प्रभार / विलंब भुगतान प्रभार (EMI)	a. Housing Loan - Penal Charge upto Re. 1 per day for every Rs. 1,000 overdue (excluding GST) b. Loan against property - Penal Charge upto Re. 1 per day for every Rs. 1,000 overdue (excluding GST) a. गृह ऋण - प्रत्येक रु. 1,000 की अतिदेय राशि पर प्रतिदिन अधिकतम रु. 1 तक दंडात्मक प्रभार (GST को छोड़कर) b. संपत्ति के विरुद्ध ऋण - प्रत्येक रु. 1,000 की अतिदेय राशि पर प्रतिदिन अधिकतम रु. 1 तक दंडात्मक प्रभार (GST को छोड़कर)	Monthly मासिक	On recognition by Lender ऋणदाता द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर	Additional charges payable on default चूक की स्थिति में देय अतिरिक्त प्रभार
9	Charges for document retrieval. (Photocopy) दस्तावेज प्राप्ति (फोटोकॉपी) हेत् प्रभार	Charged upto Rs. 500/- (Rupees Five Hundred Only) अधिकतम रु. 500/- (केवल रुपये पाँच सौ) तक प्रभारित	Event घटना	On every request प्रत्येक अनुरोध पर	Upon your application for retrieval of original documents and further request for photocopy of your property papers mortgaged with Sitaara Housing Finance Limited (Formerly known as Sewa Grih Rin Limited) or for sighting of documents in front

					of our authorised personnel at branch / HO, all is chargeable @ Rs.500 /- shall be applicable. सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के पास बंधक रखे गए आपके संपत्ति दस्तावेजों की मूल प्रतियों की प्राप्ति हेतु आपके आवेदन तथा उनकी फोटोकॉपी प्राप्त करने अथवा शाखा/मुख्यालय में हमारे अधिकृत कर्मियों के समक्ष दस्तावेजों का अवलोकन करने के अतिरिक्त अनुरोध पर, रु. 500/- की दर से प्रभार लागू होगा।
10	Charges for Retrieval of LOD (List of documents deposited-SITAARA) Duplicate copy LOD (SITAARA में जमा दस्तावेजों की सूची) की डुप्लिकेट प्रति प्राप्त करने हेतु प्रभार	Charged upto Rs 500/-- (Rupees Five Hundred Only) अधिकतम रु. 500/- (केवल रुपये पाँच सौ) तक प्रभारित	Event घटना	On every request प्रत्येक अनुरोध पर	Upon your application for a duplicate copy of your LOD (List Of Documents), that is, list of property papers and other documents being deposited with SITAARA for the creation of mortgages, which is chargeable @ Rs.500 /- per LOD shall be applicable. आपके LOD (जमा दस्तावेजों की सूची) अर्थात बंधक सृजन हेतु SITAARA के पास जमा किए गए संपत्ति दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों की सूची की डुप्लिकेट प्रति हेतु आपके आवेदन पर, प्रति LOD रु. 500/- की दर से प्रभार लागू होगा।
11	Charge for No Dues Certificate / Duplicate NOC अनापत्ति प्रमाणपत्र / डुप्लिकेट NOC हेतु प्रभार	Charged upto Rs 500/-- (Rupees Five Hundred Only) अधिकतम रु. 500/- (केवल रुपये पाँच सौ) तक प्रभारित	Event घटना	On every request प्रत्येक अनुरोध पर	Upon borrowers' request, branch can issue Duplicate NOC / No Dues Certificate @ Rs.500/-only. उधारकर्ताओं के अनुरोध पर, शाखा रु. 500/- मात्र के प्रभार पर डुप्लिकेट NOC / अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर सकती है।
12	Bank Account Swapping Charges बैंक खाता परिवर्तन शुल्क	Charged upto Rs 500/-- (Rupees Five Hundred Only) अधिकतम रु. 500/- (केवल रुपये पाँच सौ) तक प्रभारित	Event घटना	On every request प्रत्येक अनुरोध पर	Upon borrower's request SITAARA would consider swapping of Bank account in an existing loan. Charges for availing this facility would be Rs. 500 (Charges are not applicable where reason of swapping is – a) Repayment

					mode change from PDC to NACH b) Non-CTS to CTS bank or c) Non-MICR to MICR Clearing.) उधारकर्ता के अनुरोध पर, SITAARA विद्यमान ऋण में बैंक खाते के परिवर्तन पर विचार करेगा। इस सुविधा का लाभ लेने हेतु प्रभार रु. 500/- होगा। (ये प्रभार उन स्थितियों में लागू नहीं होंगे जहाँ परिवर्तन का कारण – a) पुनर्भुगतान विधि का PDC से NACH में परिवर्तन, b) Non-CTS बैंक से CTS बैंक में परिवर्तन, अथवा c) Non-MICR से MICR क्लियरिंग में परिवर्तन हो।)
13	Conversion Fee (Fixed to Floating ROI Or Vice versa) रूपांतरण शुल्क (स्थिर से परिवर्ती ब्याज दर अथवा इसके विपरीत)	Fee upto 2% of loan outstanding & 1.5% of rate increase from existing fixed rate बकाया ऋण राशि का अधिकतम 2% एवं वर्तमान स्थिर दर से 1.5% की दर वृद्धि तक शुल्क	Event घटना	Once on every part payment occurrence प्रत्येक आंशिक भुगतान की घटना पर एक बार	Charges for the Rate type conversion from Fixed to Floating Please Note: The option to switch between floating and fixed interest rates (and vice versa) may be exercised only once within a rolling block of two years during the loan tenure . स्थिर से परिवर्ती ब्याज दर में परिवर्तन हेतु प्रभार कृपया ध्यान दें: ऋण अवधि के दौरान दो वर्षों के चलित अंतराल (rolling block) में केवल एक बार ही परिवर्ती एवं स्थिर ब्याज दरों (तथा इसके विपरीत) के बीच परिवर्तन का विकल्प प्रयोग किया जा सकेगा।
14	Switch Fee स्विच शुल्क	Upto 2% of loan outstanding बकाया ऋण राशि का अधिकतम 2% तक	Event घटना	On every change in interest rate ब्याज दर में प्रत्येक परिवर्तन पर	Charges to be paid for the rate reduction in the loan basis customer request. ग्राहक के अनुरोध के आधार पर ऋण में ब्याज दर में कमी हेतु देय प्रभार।
15	Covenant Charges संविदा प्रभार		Event घटना	On every Occurrence प्रत्येक घटना पर	
(a)	PDD delay penalty (critical/ title documents) PDD विलंब दंड (महत्वपूर्ण/स्वामित्व दस्तावेज)	#100 per day/3000/- (Monthly) #100 प्रतिदिन / 3000/- (मासिक)	90 days from first payment/ cheque encashment date प्रथम भुगतान / चेक भुनाने की तिथि से 90	On Non-Compliance any one or all heads in the category as per legal requirement (HL/LAP). विधिक आवश्यकता के	

			दिन	अनुसार श्रेणी (HL/LAP) में किसी एक अथवा सभी मदों के अनुपालन न होने पर।	
(b)	PDD delay penalty (Other than critical/ title documents) PDD विलंब दंड (महत्वपूर्ण/स्वामित्व दस्तावेजों के अतिरिक्त)	#100 per day/3000/- (Monthly) #100 प्रतिदिन / 3000/- (मासिक)	90 days from first payment/ cheque encashment date प्रथम भुगतान / चेक भुनाने की तिथि से 90 दिन	On Non-Compliance any one or all heads in the category as per legal requirement (HL/LAP) विधिक आवश्यकता के अनुसार श्रेणी (HL/LAP) में किसी एक अथवा सभी मदों के अनुपालन न होने पर	
Loans sanctioned or renewed on or before December 31st, 2025 31 दिसंबर, 2025 को अथवा उससे पूर्व स्वीकृत या नवीनीकृत ऋण					
16	Purpose/Prepaid or Pre-closed Through उद्देश्य / पूर्वभुगतान अथवा पूर्वसमापन के माध्यम से	Interest Type ब्याज का प्रकार	Event घटना	As may be applicable जैसा लागू हो सकता है	
	Housing Loans/ Non- Housing Loans to individual borrowers for purpose other than business. व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों हेतु व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को दिए गए गृह ऋण / गैर-गृह ऋण।	Floating Rate - "NIL" charges परिवर्ती ब्याज दर - "शून्य" प्रभार			Loan Prepayment Charges on amount of Prepayment (Payable at the time of prepayment of loan) ऋण पूर्वभुगतान राशि पर पूर्वभुगतान प्रभार (ऋण के पूर्वभुगतान के समय देय)
	For all types of Loans where end use is for business purpose or where the borrower is not individual सभी प्रकार के उन ऋणों हेतु जहाँ अंतिम उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य के लिए हो अथवा जहाँ उधारकर्ता व्यक्तिगत न हो।	Floating Rate: upto 4% of the Loan Amount Paid परिवर्ती ब्याज दर: भुगतान की गई ऋण राशि का अधिकतम 4% तक			
	Housing Loans prepaid/	Fixed Rate: "NIL" charges			

	pre-closed through 'Own Sources' of the Borrower(s) उधारकर्ता(ओं) के 'स्वयं के स्रोतों' के माध्यम से पूर्वभुगतान/पूर्वसमापन किए गए गृह ऋण	स्थिर ब्याज दर: "शून्य" प्रभार			
	Housing Loans prepaid/ pre-closed through Other Sources OR Non-Housing Loans with any purpose. अन्य स्रोतों के माध्यम से पूर्वभुगतान/पूर्वसमापन किए गए गृह ऋण अथवा किसी भी उद्देश्य के गैर-गृह ऋण	Fixed Rate: upto 4% of the Loan Amount Paid स्थिर ब्याज दर: भुगतान की गई ऋण राशि का अधिकतम 4% तक			
	Loans sanctioned or renewed on or after January 01st, 2026 01 जनवरी, 2026 को अथवा उसके बाद स्वीकृत या नवीनीकृत ऋण				
	Purpose/Prepaid or Pre-closed Through उद्देश्य / पूर्वभुगतान अथवा पूर्वसमापन के माध्यम से	Interest Type ब्याज का प्रकार	Event घटना	As may be applicable जैसा लागू हो सकता है	
	Housing Loans/ Non- Housing Loans to individual borrowers for purpose other than business / Non-Housing Loans to individuals and MSMEs for business purpose, with sanctioned amount / limit upto Rs. 50 Lakhs. व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को व्यवसाय के	Floating Rate - "NIL" charges परिवर्ती ब्याज दर - "शून्य" प्रभार			Loan Prepayment Charges on amount of Prepayment (Payable at the time of prepayment of loan) ऋण पूर्वभुगतान राशि पर पूर्वभुगतान प्रभार (ऋण के पूर्वभुगतान के समय देय)

	अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों हेतु दिए गए गृह ऋण / गैर-गृह ऋण अथवा व्यवसायिक उद्देश्य हेतु व्यक्तियों एवं MSME को दिए गए गैर-गृह ऋण, जिनकी स्वीकृत राशि/सीमा रु. 50 लाख तक हो।				
	Business purpose loans with sanctioned amount / limit above Rs. 50 Lakhs to individuals or MSMEs; or where the borrower is not individual व्यक्तियों अथवा MSME को रु. 50 लाख से अधिक स्वीकृत राशि/सीमा वाले व्यवसायिक उद्देश्य के ऋण; अथवा जहाँ उधारकर्ता व्यक्तिगत न हो।	Floating Rate: upto 4% of the Loan Amount Paid परिवर्ती ब्याज दर: भुगतान की गई ऋण राशि का अधिकतम 4% तक			
	Housing Loans prepaid/ pre-closed through 'Own Sources' of the Borrower(s) उधारकर्ता(ओं) के 'स्वयं के स्रोतों' के माध्यम से पूर्वभुगतान/पूर्वसमापन किए गए गृह ऋण	Fixed Rate: "NIL" charges स्थिर ब्याज दर: "शून्य" प्रभार			
	Housing Loans prepaid/ pre-closed through Other Sources OR Non-Housing Loans for any purpose. अन्य स्रोतों के माध्यम से पूर्वभुगतान/पूर्वसमापन किए गए गृह ऋण अथवा	Fixed Rate: upto 4% of the Loan Amount Paid स्थिर ब्याज दर: भुगतान की गई ऋण राशि का अधिकतम 4% तक			

	किसी भी उद्देश्य हेतु गैर-गृह ऋण।				
		Notes: 1. The expression “Own Sources” for the purpose means any source other than by borrowing from a bank/ HFC/ NBFC and/or a financial institution. 2. All dual/ special rate (combination of fixed and floating) housing loans will attract the pre-closure norms applicable to fixed/ floating rate depending on whether at the time of pre-closure, the loan is on fixed or floating rate. In case of a dual/ special rate housing loans, the pre-closure norm for floating rate will apply once the loan has been converted into floating rate loan, after the expiry of the fixed interest rate period. 3. It is also clarified that a fixed rate loan is one where the rate is fixed for the entire duration of the loan." टिप्पणियाँ: 1. इस उद्देश्य हेतु “स्वयं के स्रोत” अभिव्यक्ति का अर्थ बैंक / HFC / NBFC एवं/अथवा किसी वित्तीय संस्था से उधार लेने के अतिरिक्त किसी भी स्रोत से है। 2. सभी द्वैध / विशेष दर (स्थिर एवं परिवर्ती दर के संयोजन वाले) गृह ऋणों पर पूर्वसमापन संबंधी वे मानदंड लागू होंगे, जो पूर्वसमापन के समय ऋण के स्थिर अथवा परिवर्ती दर पर होने के अनुसार लागू होते हैं। द्वैध / विशेष दर गृह ऋणों के मामले में, स्थिर ब्याज दर अवधि समाप्त होने के पश्चात ऋण के परिवर्ती दर ऋण में परिवर्तित हो जाने पर परिवर्ती दर हेतु पूर्वसमापन मानदंड लागू होंगे। 3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्थिर दर ऋण वह है जिसमें ऋण की संपूर्ण अवधि हेतु ब्याज दर स्थिर रहती है।"			

3. Security For the Loan

3. ऋण हेतु सुरक्षा

- Your Property, which is situated at _____shall be kept under mortgage with SITAARA (on first charge basis) till the complete payment of loan amount. Applicants/Borrowers are required to submit all documents related to this property in original / photocopy as may be required by the Company.

आपकी वह संपत्ति, जो _____ स्थित है, ऋण राशि के पूर्ण भुगतान तक SITAARA के पास बंधक (प्रथम प्रभार के आधार पर) रखी जाएगी। आवेदकों/उधारकर्ताओं को इस संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेज कंपनी की आवश्यकता अनुसार मूल / फोटोकॉपी में प्रस्तुत करने होंगे।

- Personal Guarantee Provided By

द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत गारंटी

- Details of other Security, if any

अन्य सुरक्षा का विवरण, यदि कोई हो

4. Conditions for Loan disbursement:

4. ऋण वितरण हेतु शर्तें:

The loan amount shall be disbursed subject to the fulfillment of below mentioned conditions:

ऋण राशि का वितरण नीचे उल्लिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन किया जाएगा। :

- Submission of all the relevant documents as mentioned by SITAARA in the Sanction letter/ Loan Agreement.

SITAARA द्वारा स्वीकृति पत्र/ऋण अनुबंध में उल्लिखित सभी संबंधित दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण।

- Completion of Legal and Technical assessment of the property.

संपत्ति के विधिक एवं तकनीकी मूल्यांकन की पूर्णता।

- Payment of own contribution by the Applicants (Difference in loan amount and total cost to the customer/-Applicant)

आवेदकों द्वारा स्वयं के अंशदान का भुगतान (ऋण राशि एवं ग्राहक/आवेदक की कुल लागत के मध्य का अंतर)।

- Undertaking by the Applicant to regularly provide information to SITAARA regarding the dues/taxes/duties pertaining to the collateral security/property.

आवेदक द्वारा संपार्श्विक सुरक्षा/संपत्ति से संबंधित बकाया राशि/करों/शुल्कों के संबंध में नियमित रूप से SITAARA को जानकारी प्रदान करने का वचन।

- Construction must be carried out in authorized areas in accordance with applicable bye-laws. All

necessary permissions must be obtained or applied for by the applicant(s) and/or developer. In case of property purchase, the applicant(s) must verify compliance. Fulfillment of all Other Terms & Conditions required as per the Sanction letter, Home Loan Agreement, legal & technical reports and aspects within the subject.

निर्माण कार्य अधिकृत क्षेत्रों में लागू उपविधियों के अनुसार किया जाना चाहिए। सभी आवश्यक अनुमतियाँ आवेदक(ओं) एवं/अथवा डेवलपर द्वारा प्राप्त अथवा आवेदनित की जानी चाहिए। संपत्ति क्रय के मामले में, आवेदक(ओं) को अनुपालन का सत्यापन करना होगा। स्वीकृति पत्र, गृह ऋण अनुबंध, विधिक एवं तकनीकी रिपोर्टों तथा विषय से संबंधित अन्य आवश्यक नियम एवं शर्तों की पूर्ति की जानी आवश्यक होगी।

- SITAARA reserves the right to decline the loan disbursement until the sanction loan amount is transferred to the applicant's/borrower's account. Further, SITAARA also reserves the right to share credit performance details of Applicants'/borrowers' loan account with Credit Information Bureau of India Limited and with other authorized agencies.

SITAARA को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि जब तक स्वीकृत ऋण राशि आवेदक/उधारकर्ता के खाते में स्थानांतरित नहीं हो जाती, तब तक वह ऋण वितरण से इंकार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, SITAARA को आवेदकों/उधारकर्ताओं के ऋण खाते के ऋण प्रदर्शन संबंधी विवरण क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा अन्य अधिकृत एजेंसियों के साथ साझा करने का भी अधिकार सुरक्षित रहेगा।

- The Applicants acknowledge and consent that this MITC may be executed and accepted through electronic means, including but not limited to digital signatures, one-time password (OTP) verification, click-to-accept mechanisms, or any other method permitted under applicable law, including the Information Technology Act, 2000 and its rules, as amended. Such electronic execution shall have the same legal effect and enforceability as physical signatures. A copy of this MITC provided in electronic form shall be treated as the original for all legal and evidentiary purposes.

आवेदक स्वीकार करते हैं एवं सहमति प्रदान करते हैं कि इस MITC का निष्पादन एवं स्वीकृति इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से की जा सकती है, जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर, एकमुश्त पासवर्ड (OTP) सत्यापन, क्लिक-टू-एक्सेप्ट प्रणाली अथवा लागू विधि, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 एवं उसके संशोधित नियम सम्मिलित हैं, के अंतर्गत अनुमत कोई अन्य विधि शामिल है, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन भौतिक हस्ताक्षरों के समान विधिक प्रभाव एवं प्रवर्तनीयता रखेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान की गई इस MITC की प्रति को सभी विधिक एवं साक्ष्यात्मक उद्देश्यों हेतु मूल प्रति माना जाएगा।

5. Information related to Insurance

5. बीमा से संबंधित जानकारी

Applicants/Borrowers are advised to obtain an insurance cover for the property mortgaged with Sitaara Housing Finance Limited (Formerly known as Sewa Grih Rin Limited) (SITAARA), for a duration at least equal to the loan tenure and for a sum insured equivalent to the sanctioned loan amount. The insurance policy should be assigned in favor of SITAARA. Details to be provided by the applicant/borrower:

आवेदकों/उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (SITAARA) के पास बंधक रखी गई संपत्ति हेतु कम से कम ऋण अवधि के बराबर अवधि के लिए तथा स्वीकृत ऋण राशि के समतुल्य बीमित राशि का बीमा कवरेज प्राप्त करें। बीमा पॉलिसी SITAARA के पक्ष में समर्पित (Assigned) होनी चाहिए। आवेदक/उधारकर्ता द्वारा प्रदान किया जाने वाला विवरण।:

a) Name of the Insurance Company where the property is insured and assigned to SITAARA
उस बीमा कंपनी का नाम जहाँ संपत्ति का बीमा किया गया है एवं SITAARA के पक्ष में समर्पित (Assigned) किया गया है।

b) Value of the Insurance Cover
बीमा कवरेज का मूल्य।

c) Other Terms and Conditions of the Insurance Policy:
बीमा पॉलिसी के अन्य नियम एवं शर्तें:

Note: Insurance *is a subject matter of solicitation.*
नोट: बीमा आग्रह का विषय है।

6. Subsidy:
6. सब्सिडी:

- Applicants/Borrowers acknowledge that they have been informed about the Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY). They understand that eligibility under this scheme is subject to verification and confirmation by the concerned government authorities. If eligible, the subsidy benefit will be extended as per the applicable rules of the CLSS program.

आवेदक/उधारकर्ता स्वीकार करते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के बारे में अवगत कराया गया है। वे समझते हैं कि इस योजना के अंतर्गत पात्रता संबंधित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा सत्यापन एवं पुष्टि के अधीन है। पात्र पाए जाने पर, CLSS कार्यक्रम के लागू नियमों के अनुसार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

- Applicants/ Borrowers further acknowledge that coverage under this scheme is governed solely by the conditions laid down by the Government of India, and Sitaara Housing Finance Limited (Formerly known as Sewa Grih Rin Limited) (SITAARA) has no control over the approval, processing, or disbursement of the subsidy.

आवेदक/उधारकर्ता आगे यह भी स्वीकार करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कवरेज पूर्णतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन है तथा सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (SITAARA) का सब्सिडी की स्वीकृति, प्रक्रिया अथवा वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है।

- Upon receipt of the subsidy under CLSS–PMAY, the Equated Monthly Instalment (EMI) shall be mandatorily revised downward, and a new repayment schedule along with applicable terms and conditions shall be communicated for acknowledgment.

CLSS–PMAY के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त होने पर, समान मासिक किस्त (EMI) में अनिवार्य रूप से कमी की जाएगी तथा लागू नियम एवं शर्तों सहित नई पुनर्भुगतान अनुसूची स्वीकृति हेतु सूचित की जाएगी।

- Applicants/Borrowers also understand that in the event of default, they shall be liable to repay the

full outstanding loan amount as per the original sanctioned and disbursed schedule. This includes both the remaining loan balance with SITAARA and the subsidy amount credited by the government. Therefore, the entire disbursed amount comprising the SITAARA loan and the government subsidy is recoverable from the borrower/beneficiary.

आवेदक/उधारकर्ता यह भी समझते हैं कि चूक की स्थिति में वे मूल स्वीकृत एवं वितरित अनुसूची के अनुसार संपूर्ण बकाया ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु उत्तरदायी होंगे। इसमें SITAARA के साथ शेष ऋण बकाया राशि तथा सरकार द्वारा जमा की गई सब्सिडी राशि दोनों सम्मिलित हैं। अतः SITAARA ऋण एवं सरकारी सब्सिडी से युक्त संपूर्ण वितरित राशि उधारकर्ता/लाभार्थी से वसूल योग्य होगी।

7. Repayment of Loan Amount and Interest

7. ऋण राशि एवं ब्याज का पुनर्भुगतान

- Simple Interest in the form of Pre-EMI shall be payable on the disbursed Loan amount from the date/respective dates of disbursement to the date immediately prior to the date of commencement of EMI either through ECS/PDC/ACH/DDM.

वितरित ऋण राशि पर वितरण की तिथि/संबंधित तिथियों से लेकर EMI प्रारंभ होने की तिथि के ठीक पूर्व तक, साधारण ब्याज प्री-EMI के रूप में ECS/PDC/ACH/DDM के माध्यम से देय होगा।

- Loan amount shall be repaid in ( ) Months, ( ) Equal monthly installments of Rupees ( ) which shall start from the next month of the date when full loan amount is disbursed.

ऋण राशि का पुनर्भुगतान ( ) माह में, रुपये ( ) की ( ) समान मासिक किस्तों में किया जाएगा, जो पूर्ण ऋण राशि के वितरण की तिथि के अगले माह से प्रारंभ होगा।

- Applicants/Borrowers shall be duly informed of any change in the applicable rate of interest through e-mail/ letter/ SMS/ account statement/ displayed at the branch or on SITAARA's website. Upon such change, applicants/borrowers are required to contact the nearest Sitaara Housing Finance Limited (Formerly known as Sewa Grih Rin Limited) (SITAARA) branch to revise the instalment amount or loan tenure in accordance with the revised rate of interest. In case of any objection or concern regarding the revised terms, applicants/borrowers may contact the SITAARA branch for clarification or resolution.

आवेदकों/उधारकर्ताओं को लागू ब्याज दर में किसी भी परिवर्तन की सूचना ई-मेल/पत्र/SMS/खाता विवरण/शाखा में प्रदर्शित सूचना अथवा SITAARA की वेबसाइट के माध्यम से यथोचित रूप से दी जाएगी। ऐसे परिवर्तन के पश्चात, आवेदकों/उधारकर्ताओं को संशोधित ब्याज दर के अनुसार किस्त की राशि अथवा ऋण अवधि में संशोधन कराने हेतु निकटतम सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह ऋण

लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (SITAARA) शाखा से संपर्क करना आवश्यक होगा। संशोधित शर्तों के संबंध में किसी भी आपत्ति अथवा चिंता की स्थिति में, आवेदक/उधारकर्ता स्पष्टीकरण अथवा समाधान हेतु SITAARA शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

8. Brief of recovery process of balance instalments.

8. शेष किस्तों की वसूली प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण।

- Applicants/Borrowers may be reminded through phone calls or messages on the mobile number provided to deposit sufficient funds in their bank account to ensure timely payment of EMIs.

आवेदकों/उधारकर्ताओं को समय पर EMI भुगतान सुनिश्चित करने हेतु अपने बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि जमा रखने के लिए प्रदान किए गए मोबाइल नंबर पर फोन कॉल अथवा संदेशों के माध्यम से स्मरण कराया जा सकता है।

- In case the banking instrument (such as ECS, ACH, PDC, or any other mode) provided by the applicant/borrower for EMI payment is dishonoured by the bank, a follow-up reminder may be sent via phone call or message. The applicant/borrower shall be required to deposit the overdue amount along with applicable cheque/instrument dishonour charges at the nearest branch office of Sitaara Housing Finance Limited (Formerly known as Sewa Grih Rin Limited) (SITAARA).

यदि EMI भुगतान हेतु आवेदक/उधारकर्ता द्वारा प्रदान किया गया बैंकिंग लिखत (जैसे ECS, ACH, PDC अथवा कोई अन्य माध्यम) बैंक द्वारा अनादरित (Dishonoured) कर दिया जाता है, तो फोन कॉल अथवा संदेश के माध्यम से अनुवर्ती स्मरण भेजा जा सकता है। आवेदक/उधारकर्ता को लागू चेक/लिखत अनादरण प्रभार सहित अतिदेय राशि निकटतम सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (SITAARA) शाखा कार्यालय में जमा करनी होगी।

- SITAARA employees may visit the applicant/borrower's residence or workplace to collect the outstanding dues, if necessary.

आवश्यकता होने पर SITAARA के कर्मचारी बकाया राशि की वसूली हेतु आवेदक/उधारकर्ता के निवास अथवा कार्यस्थल का दौरा कर सकते हैं।

- If the applicant/borrower fails to pay the total due amount within the specified time limit, SITAARA shall be entitled to initiate appropriate legal action against the Applicant/borrower and/or co-borrowers, in accordance with the loan agreement and other executed security documents. Legal action may include proceedings under Section 138 of the Negotiable Instruments Act and/or the SARFAESI Act, depending on the case.

यदि आवेदक/उधारकर्ता निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कुल देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो SITAARA ऋण अनुबंध एवं निष्पादित अन्य सुरक्षा दस्तावेजों के अनुसार आवेदक/उधारकर्ता एवं/अथवा सह-उधारकर्ताओं के विरुद्ध उपयुक्त विधिक कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार रखेगा। मामले के अनुसार विधिक कार्यवाही में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 एवं/अथवा SARFAESI अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही सम्मिलित हो सकती है।

- The mortgaged property may be possessed and/or sold to recover the outstanding loan amount, as

per applicable laws, judicial directions, or court orders.

लागू कानूनों, न्यायिक निर्देशों अथवा न्यायालय के आदेशों के अनुसार बकाया ऋण राशि की वसूली हेतु बंधक संपत्ति का कब्जा लिया जा सकता है एवं/अथवा उसे बेचा जा सकता है।

9. Date of issuing annual outstanding balance statement:

9. वार्षिक बकाया शेष विवरण जारी करने की तिथि:

- Annual outstanding balance statements will be issued to the applicants/borrowers during the first quarter of the subsequent financial year.

वार्षिक बकाया शेष विवरण आगामी वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान आवेदकों/उधारकर्ताओं को जारी किया जाएगा।

10. Acceptable Modes of Communication

10. संचार के स्वीकार्य माध्यम

- "Acceptable Modes of Communication" with reference to Applicants/Borrowers shall mean any of the following methods used by Sitaara Housing Finance Limited (Formerly known as Sewa Grih Rin Limited) (SITAARA) to communicate important information, notices, or updates:

आवेदकों/उधारकर्ताओं के संदर्भ में "संचार के स्वीकार्य माध्यम" से अभिप्राय उन निम्नलिखित माध्यमों से है जिनका उपयोग सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (SITAARA) द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी, सूचनाएँ अथवा अद्यतन संप्रेषित करने हेतु किया जाता है।:

(a) Telephonic call or text message sent to the registered mobile number or landline as specified in Schedule I of the loan agreement or related ancillary documents.

(a) ऋण अनुबंध के अनुसूची I अथवा संबंधित सहायक दस्तावेजों में उल्लिखित पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा लैंडलाइन पर किया गया टेलीफोन कॉल या भेजा गया टेक्स्ट संदेश

(b) Email sent to the registered email address of the Applicant/borrower as specified in Schedule I of the loan agreement or related ancillary documents.

(b) ऋण अनुबंध की अनुसूची I अथवा संबंधित सहायक दस्तावेजों में उल्लिखित आवेदक/उधारकर्ता के पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा गया ईमेल।

(c) Written notice sent by courier or post to the registered postal address of the applicant/borrower.

(c) आवेदक/उधारकर्ता के पंजीकृत डाक पते पर कूरियर या डाक द्वारा भेजी गई लिखित सूचना।

(d) Text message or communication through social media platforms such as WhatsApp, or any other approved electronic mode.

(d) टेक्स्ट संदेश अथवा WhatsApp जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी अन्य स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया संचार।

(e) Notification published by SITAARA on its official website.

(e) SITAARA की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना/सूचनाएं।

Any communication made through the above modes shall be deemed to have been duly delivered and acknowledged by the applicant/borrower.

उपरोक्त माध्यमों से किया गया कोई भी संचार आवेदक/उधारकर्ता को विधिवत रूप से वितरित एवं प्राप्त माना जाएगा।

11. Customer Services during the Loan duration

11. ऋण अवधि के दौरान ग्राहक सेवाएँ

- Applicants/Borrowers may visit the branch office between 09:30 AM and 06:30 PM on any working day to seek assistance.

आवेदक/उधारकर्ता किसी भी कार्य दिवस पर सहायता प्राप्त करने हेतु सुबह 09:30 बजे से शाम 06:30 बजे तक शाखा कार्यालय में आ सकते हैं।

- Applicants/Borrowers may contact the Customer Account Officer at the branch for any queries or support related to their loan account.

आवेदक/उधारकर्ता अपने ऋण खाते से संबंधित किसी भी प्रश्न अथवा सहायता हेतु शाखा के ग्राहक खाता अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

12. Other Conditions:

12. अन्य शर्तें:

- Applicants/Borrowers may collect the **statement of account** related to their loan from the Customer Service Officer within **15 working days** from the date of payment of the specified fee.

आवेदक/उधारकर्ता निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान की तिथि से 15 कार्य दिवसों के भीतर अपने ऋण खाते का विवरण ग्राहक सेवा अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं।

- The **foreclosure letter** and the **list of documents** shall be processed within **21 working days** from the date of payment of the specified fee.

निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान की तिथि से 21 कार्य दिवसों के भीतर फोरक्लोज़र पत्र एवं दस्तावेजों की सूची की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

- Applicants/Borrowers may request a **photocopy of property ownership documents** kept as mortgage with Sitaara Housing Finance Limited (Formerly known as Sewa Grih Rin Limited) (SITAARA) by submitting a written request along with the specified fee. The photocopy shall be made available within **15 working days** from the date of payment.

आवेदक/उधारकर्ता निर्धारित शुल्क के साथ लिखित अनुरोध प्रस्तुत कर सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (SITAARA) के पास बंधक रखे गए संपत्ति स्वामित्व दस्तावेजों की फोटोकॉपी का अनुरोध कर सकते हैं। भुगतान की तिथि से 15 कार्य दिवसों के भीतर फोटोकॉपी उपलब्ध कराई जाएगी।

- For **closed or matured loans**, the **original documents** shall be returned within **30 days** from the date

of loan closure, subject to receipt of the complete outstanding amount in SITAARA's bank account. These documents may be collected from the branch where the loan was disbursed or from another branch of the applicant's/ borrower's choice, as specified at the time of foreclosure.

बंद या परिपक्व ऋणों के मामले में, ऋण समापन की तिथि से 30 दिनों के भीतर मूल दस्तावेज लौटाए जाएंगे, बशर्ते SITAARA के बैंक खाते में संपूर्ण बकाया राशि प्राप्त हो गई हो। ये दस्तावेज उस शाखा से प्राप्त किए जा सकते हैं जहाँ से ऋण वितरित किया गया था अथवा आवेदक/उधारकर्ता द्वारा फोरक्लोज़र के समय निर्दिष्ट किसी अन्य शाखा से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

- In the event of the demise of the property owner(s) after the closure of the loan, the **original property documents** held by Sitaara Housing Finance Limited (Formerly known as Sewa Grih Rin Limited) (SITAARA) shall be handed over to the **legal heir(s)** upon submission of **requisite documents**, including but not limited to: (i) Death certificate of the property owner; (ii) Proof of legal heirship (such as succession certificate, legal heir certificate, or registered will) ; (iii) Identity and address proof of the legal heir(s); (iv) Any other document as may be required by SITAARA for verification. The legal heir(s) may collect the documents from the SITAARA branch where the loan was disbursed or from another branch of their choice, as specified during the claim process.

ऋण समापन के पश्चात यदि संपत्ति स्वामी(यों) की मृत्यु हो जाती है, तो सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (SITAARA) के पास रखे गए मूल संपत्ति दस्तावेज विधिक उत्तराधिकारी(यों) को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सौंप दिए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं: (i) संपत्ति स्वामी का मृत्यु प्रमाणपत्र; (ii) विधिक उत्तराधिकार का प्रमाण (जैसे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र या पंजीकृत वसीयत); (iii) विधिक उत्तराधिकारी(यों) का पहचान एवं पता प्रमाण; (iv) SITAARA द्वारा सत्यापन हेतु आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज। विधिक उत्तराधिकारी(यों) ऋण वितरण शाखा अथवा अपनी पसंद की किसी अन्य शाखा से, दावा प्रक्रिया के दौरान निर्दिष्ट अनुसार, दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं।

- Applicants/Borrowers may refer to the official SITAARA website for the **updated list of branch addresses**.

आवेदक/उधारकर्ता शाखा पतों की अद्यतन सूची के लिए SITAARA की आधिकारिक वेबसाइट का संदर्भ ले सकते हैं।

The **Most Important Terms and Conditions (MITC)** form an integral part of SITAARA's credit policy.
अत्यंत महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (MITC) SITAARA की ऋण नीति का अभिन्न अंग हैं।

13. GRIEVANCE REDRESSAL PROCESS:

13. शिकायत निवारण प्रक्रिया:

Level 1 स्तर 1	If the customer is having any grievance or any query, he may contact the branch or may write to us at / customercare@sitaara.in or call us at our toll free Number: 1800113909. We are committed to resolving customer's queries/issues within 2 weeks. यदि ग्राहक को कोई शिकायत अथवा प्रश्न है, तो वह शाखा से संपर्क कर सकता है अथवा

	customercare@sitaara.in पर हमें लिख सकता है अथवा हमारे टोल फ्री नंबर 1800113909 पर कॉल कर सकता है। हम ग्राहकों के प्रश्नों/समस्याओं का समाधान 2 सप्ताह के भीतर करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।
Level 2 स्तर 2	If the customer is not satisfied with the resolution provided at level 1, he/ she he/ she can redirect his/ her complaint to our Grievance Redressal Officer. Name of Grievance Redressal Officer: Mr. Neeraj Kumar Gautam Contact No.: 9910440956 Email ID: complaints@sitaara.in यदि ग्राहक स्तर 1 पर प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपनी शिकायत हमारे शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) को भेज सकता है। शिकायत निवारण अधिकारी का नाम: श्री नीरज कुमार गौतम संपर्क नंबर: 9910440956 ईमेल ID: complaints@sitaara.in
Level 3 स्तर 3	If the customer is not satisfied with the resolution provided at level 2 or time period of 7 days after lodging complaint at level 2 has lapsed, the customer may post his/her complaint to the Grievance Redressal Officer a Sgrlgro@sitaara.in Alternatively, the customers may write to Grievance Redressal Officer - Mr. Neeraj Kumar Gautam **Registered Office -** 1st Floor, 216/C-12, Old No. C-12, Plot No. 13-B, Guru Nanak Pura, Laxmi Nagar, Delhi – 110092 Phone: 011-4352-1832 यदि ग्राहक स्तर 2 पर प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है अथवा स्तर 2 पर शिकायत दर्ज करने के 7 दिनों की अवधि समाप्त हो चुकी है, तो ग्राहक अपनी शिकायत शिकायत निवारण अधिकारी को Sgrlgro@sitaara.in पर भेज सकता है। वैकल्पिक रूप से, ग्राहक शिकायत निवारण अधिकारी को पत्र द्वारा भी लिख सकते हैं – श्री नीरज कुमार गौतम पंजीकृत कार्यालय – 1st Floor, 216/C-12, Old No. C-12, Plot No. 13-B, Guru Nanak Pura, Laxmi Nagar, Delhi – 110092 फोन: 011-4352-1832

Level 3 स्तर 3	In case of non-redressal of the complaint to the customer's satisfaction or non addressal of the compliant, within 30 days from the date of complaint, the customer may approach the National Housing Bank by lodging its complaint in online mode at the link https://grids.nhbonline.org.in or in offline mode by post at address given below, in the prescribed format available under the Grievances section at https://nhb.org.in/ **The General Manager** **National Housing Bank**, Complaint Redressal Cell 4th Floor, Core-5A, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi- 110003 यदि शिकायत का समाधान ग्राहक की संतुष्टि के अनुसार नहीं होता है अथवा शिकायत दर्ज होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसका निवारण नहीं किया जाता है, तो ग्राहक राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank) में अपनी शिकायत ऑनलाइन माध्यम से https://grids.nhbonline.org.in पर अथवा ऑफलाइन माध्यम से नीचे दिए गए पते पर डाक द्वारा निर्धारित प्रारूप में दर्ज कर सकता है, जो https://nhb.org.in/ के Grievances अनुभाग में उपलब्ध है। महाप्रबंधक राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank), शिकायत निवारण प्रकोष्ठ चौथा तल, कोर-5A, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

You will receive an acknowledgement / response within [2 business days] of receiving your communication.
Anonymous Complaints and complaints from third party will not be entertained.
आपको आपके संचार की प्राप्ति के [2 कार्य दिवसों] के भीतर एक पावती / उत्तर प्राप्त होगा। गुमनाम शिकायतों एवं तृतीय पक्ष द्वारा की गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

14. Dispute Resolution:

14. विवाद समाधान:

The Loan Agreement provides for Arbitration as means of dispute resolution.
ऋण अनुबंध में विवाद समाधान के साधन के रूप में मध्यस्थता (Arbitration) का प्रावधान किया गया है।

a) In the event of any dispute or disagreement arising out of the loan transaction, the matter shall be resolved through **Arbitration**, as provided under the Loan Agreement and in accordance with the provisions of the **Arbitration and Conciliation Act, 1996**, as amended from time to time.

ऋण लेनदेन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद अथवा मतभेद की स्थिति में, इस मामले का समाधान ऋण करार के अनुसार तथा समय-समय पर यथासंशोधित मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुरूप मध्यस्थता (Arbitration) के माध्यम से किया जाएगा।

b) The place of arbitration, language of proceedings, and appointment of arbitrator(s) shall be as specified in the Loan Agreement executed between the Applicant/borrower and Sitaara Housing Finance Limited (Formerly known as Sewa Grih Rin Limited) (SITAARA).

मध्यस्थता का स्थान, कार्यवाही की भाषा तथा मध्यस्थ(ओं) की नियुक्ति आवेदक/उधारकर्ता एवं सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (SITAARA) के मध्य निष्पादित ऋण करार में उल्लिखित अनुसार होगी।

c) This provision shall not restrict or limit the Company's right to initiate any other legal remedy, including but not limited to proceedings under applicable laws such as the SARFAESI Act or the Negotiable Instruments Act, in the event of default, as provided in the Loan Agreement and other security documents.

यह प्रावधान कंपनी के किसी भी अन्य विधिक उपाय को प्रारंभ करने के अधिकार को सीमित या बाधित नहीं करेगा, जिसमें चूक की स्थिति में लागू कानूनों जैसे SARFAESI अधिनियम या परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही सहित अन्य उपाय शामिल हैं, जैसा कि ऋण अनुबंध एवं अन्य सुरक्षा दस्तावेजों में प्रदान किया गया है।

This document contains only a summary of certain important terms of the loan and security transaction between the Applicants and the Company. Hence, it is agreed that for detailed terms and conditions of the loans, the Applicants shall refer to and rely upon the Loan agreement and the security documents executed / being executed by them with the Company.

यह दस्तावेज केवल आवेदकों एवं कंपनी के बीच ऋण एवं सुरक्षा लेनदेन की कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का सारांश मात्र है। अतः यह सहमति है कि ऋण की विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए आवेदक कंपनी के साथ उनके द्वारा निष्पादित / निष्पादित किए जाने वाले ऋण अनुबंध एवं सुरक्षा दस्तावेजों का संदर्भ लें एवं उन पर ही निर्भर रहें।

Acknowledgment and Declaration
स्वीकृति एवं घोषणा

The applicants hereby confirm the following:
आवेदक एतद्द्वारा निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

a) They have read and understood all the terms and conditions mentioned above. It is hereby agreed that for detailed terms and conditions of the loan, the parties hereto shall refer to and rely upon the loan and other security documents executed/ to be executed by them.

उन्होंने उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। यह एतद्द्वारा सहमति है कि ऋण की विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पक्षकार उनके द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले ऋण एवं अन्य सुरक्षा दस्तावेजों का संदर्भ लेंगे एवं उन पर ही निर्भर रहेंगे।

b) The terms and conditions have been read out and explained in vernacular language by Mr./Mrs./Ms._____(Customer Account Officer), and have been understood by them.

उन्होंने उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। यह एतद्द्वारा सहमति है कि ऋण की विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पक्षकार उनके द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले ऋण एवं अन्य सुरक्षा दस्तावेजों का संदर्भ लेंगे एवं उन पर ही निर्भर रहेंगे।

c) The Applicants confirm that they have received a copy of this document.

आवेदक पुष्टि करते हैं कि उन्हें इस दस्तावेज़ की एक प्रति प्राप्त हो गई है।

d) All fees and charges mentioned are exclusive of GST and other applicable government taxes, levies, etc. These are subject to change at the sole discretion of Sitaara Housing Finance Limited (Formerly known as Sewa Grih Rin Limited) (SITAARA). Any revisions shall be updated on the Company's website: www.sitaara.in.

उल्लिखित सभी शुल्क एवं प्रभार GST तथा अन्य लागू सरकारी करों, उपकरों आदि को छोड़कर हैं। ये सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (SITAARA) के एकमात्र विवेकाधिकार पर परिवर्तन के अधीन हैं। किसी भी संशोधन को कंपनी की वेबसाइट: www.sitaara.in पर अद्यतन किया जाएगा।

e) Vernacular versions of the MITC are available on the Company's website. Applicants have been informed of this option.

MITC के क्षेत्रीय भाषाओं (वर्नाक्युलर) संस्करण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आवेदकों को इस विकल्प के बारे में सूचित किया गया है।

f) This MITC and all Transaction Documents may be executed electronically, including via digital signature, electronic authentication, OTP, or other modes permitted under the Information Technology Act, 2000. Such execution shall be valid and binding as if signed physically. The Lender's system records (including OTP logs and confirmations) shall be conclusive evidence of acceptance. The duplicate copy of this MITC shall be provided in durable electronic form, and a physical copy may be issued upon request.

यह MITC तथा सभी लेनदेन दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से निष्पादित किए जा सकते हैं, जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण, OTP अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत अनुमत अन्य माध्यम शामिल हैं। ऐसा निष्पादन भौतिक हस्ताक्षर के समान वैध एवं बाध्यकारी होगा। ऋणदाता के सिस्टम रिकॉर्ड (जिसमें OTP लॉग एवं पुष्टि शामिल हैं) स्वीकृति के निर्णायक साक्ष्य होंगे। इस MITC की प्रति स्थायी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान की जाएगी तथा अनुरोध पर भौतिक प्रति भी जारी की जा सकती है।

Digital Signature/ Physical Signatures / Thumb Impression of above-mentioned Applicants and Co-Applicants

उपरोक्त उल्लिखित आवेदकों एवं सह-आवेदकों के डिजिटल हस्ताक्षर / भौतिक हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

For and on behalf of the Applicant(s) and Co Applicants

आवेदक(ओं) एवं सह-आवेदकों की ओर से एवं उनकी तरफ से

Sitaara

Authorized Signatory
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

For
के लिए

SITAARA HOUSING FINANCE LIMITED
सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(FORMERLY KNOWN AS SEWA GRIH RIN LIMITED).
(पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

Authorized Signatory
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता